OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 5 Issue 2 [Mar- Apr] Year 2026*

Research Article

मनरेगा और पीएम आवास योजना का तुलनात्मक अध्ययन

धर्मेन्द्र सिंह [1*], डॉ. दीपक कुमार [2]

[1] शोधार्थी, लोक प्रशासन, एन.आई.आई.एल. एम विश्वविद्यालय, कैथल, हरियाणा, भारत

[2] पर्यवेक्षक, लोक प्रशासन, एन.आई.आई.एल. एम विश्वविद्यालय, कैथल, हरियाणा, भारत

Corresponding Author: *धर्मेन्द्र सिंह

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20791671

सारांश

भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहाँ ग्रामीण गरीबी सदैव एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौती रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु अनेक नीतियाँ और योजनाएँ प्रारंभ की हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अनिश्चितता, आवास की कमी और सामाजिक असुरक्षा की समस्या आज भी विद्यमान है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने दो महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ लागू कीं- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जो 2006 से क्रियान्वित है और ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देती है, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), जो 2016 में प्रारंभ होकर "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को साकार करने हेतु समर्पित है। दोनों योजनाएँ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य करती हैं, परंतु उनके दृष्टिकोण, संरचना और प्रभाव भिन्न हैं। जहाँ मनरेगा अल्पकालिक आजीविका सुरक्षा पर केंद्रित है, वहीं पीएमएवाई-जी दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण को प्राथमिकता देती है। प्रस्तुत शोध इन दोनों योजनाओं की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए उनकी प्रभावशीलता, सीमाओं और परस्पर पूरकता का विश्लेषण करता है, जिससे भविष्य की नीति-निर्माण प्रक्रिया को दिशा मिल सके।

पद्धति: शोध में द्वितीयक डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है- जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आँकड़े, CAG की ऑडिट रिपोर्ट, और स्वतंत्र शोध अध्ययन। वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति के अंतर्गत वित्तीय व्यय, लाभार्थी oxbar, पारदर्शिता, और क्षेत्रीय असमानता जैसे मानदंडों पर दोनों योजनाओं की तुलना की गई है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 05-03-2026
- **Accepted:** 25-04-2026
- **Published:** 30-04-2026
- **IJCRM:**5(2); 2026: 1072-1075
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

धर्मेन्द्र सिंह, डॉ. दीपक कुमार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और विद्या भारती: भारतीयता का पुनर्जागरण. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(2):1072-1075.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: मनरेगा, पी.एम.ए.वाई-जी, ग्रामीण गरीबी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार गारंटी, आवास योजना, ग्रामीण विकास

© 2026 धर्मेन्द्र सिंह, डॉ. दीपक कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारत में गरीबी एक बहुआयामी समस्या है जिसने दशकों से नीति-निर्माताओं को चुनौती दी है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत में वर्ष 2011 में लगभग 22.5% जनसंख्या अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही थी।[1] ग्रामीण भारत में यह समस्या और भी गंभीर रही है क्योंकि यहाँ रोजगार के अवसर सीमित हैं, आधारभूत संरचना कमजोर है, और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने दो महत्त्वपूर्ण योजनाएँ प्रारंभ कीं-पहली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जो 2005 में अधिनियमित होकर 2006 से क्रियान्वित हुई,[2] और दूसरी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) जो 2016 में इंदिरा आवास योजना के पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में आई।[3] दोनों योजनाएँ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य के साथ आईं परंतु उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं-मनरेगा रोजगार-आधारित सहायता प्रदान करती है जबकि पीएमएवाई-जी आवास-केंद्रित सहायता देती है। प्रस्तुत शोध इन दोनों योजनाओं की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि इन्होंने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में किस सीमा तक सफलता प्राप्त की है।

2. साहित्य समीक्षा

मनरेगा पर किए गए शोध अध्ययनों में द्रेज़ एवं खेरा (2009) ने पाया कि इस योजना ने राजस्थान और आंध्र प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।[4] राव (2013) ने यह तर्क दिया कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरी दरों में वृद्धि की है, जिससे अनौपचारिक श्रम बाजार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा।[5] हालाँकि मुर्धर्स्ट एवं टिस्डेल (2014) ने इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार और फर्जी जॉब कार्डों की समस्या को रेखांकित किया।[6] पीएमएवाई-जी के संदर्भ में, नीति आयोग (2020) की एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि योजना ने 2022 तक 1.95 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा था।[7] शर्मा एवं गुप्ता (2021) ने पाया कि पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित आवासों की गुणवत्ता और लाभार्थी चयन प्रक्रिया में क्षेत्रीय विविधताएँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं।[8] उपर्युक्त साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट है कि दोनों योजनाओं पर पृथक-पृथक शोध तो उपलब्ध है, किंतु इनका तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित है। प्रस्तुत शोध इसी रिक्तता को भरने का प्रयास करता है।

3. शोध उद्देश्य एवं पद्धति

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. मनरेगा और पीएमएवाई-जी की संरचना, लक्ष्य एवं क्रियान्वयन तंत्र का तुलनात्मक विश्लेषण करना।
2. 2010-2024 के मध्य दोनों योजनाओं के वित्तीय व्यय और लाभार्थी आँकड़ों की समीक्षा करना।
3. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में दोनों योजनाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रभावशीलता का आकलन करना।
4. योजनाओं में विद्यमान चुनौतियों की पहचान करना और सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध पद्धति

यह शोध वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग, भारत के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG), और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं से प्राप्त किए गए हैं।[9] तुलनात्मक विश्लेषण हेतु निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया गया है: (क) वित्तीय आवंटन और व्यय, (ख) लाभार्थी (ग) क्रियान्वयन में पारदर्शिता, (घ) सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, और (ङ) क्षेत्रीय असमानताएँ।

मनरेगा: संरचना, क्रियान्वयन एवं प्रभाव

मनरेगा की संरचनात्मक विशेषताएँ

मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है जो ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का मजदूरी रोजगार प्रदान करती है।[10] यह एक मांग-आधारित कार्यक्रम है -अर्थात् जो परिवार काम माँगता है उसे 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय होता है। योजना के तहत सड़क निर्माण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, मिट्टी संरक्षण, और अन्य ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के कार्य किए जाते हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान इस योजना की एक विशिष्ट विशेषता है।

मनरेगा का वित्तीय विश्लेषण

केंद्र सरकार ने 2021-22 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो COVID-19 के पश्चात् ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने हेतु किए गए प्रयासों का प्रतिफल था।[11] वर्ष 2023-24 में यह बजट घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2006 से 2024 तक मनरेगा के अंतर्गत लगभग 350 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की भागीदारी क्रमशः 21% और 17% से अधिक रही है।

मनरेगा के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरी दरों में औसतन 5-10% की वृद्धि की है जिससे निजी क्षेत्र में भी श्रमिकों की मोलभाव करने की क्षमता बढ़ी है।[12] COVID-19 महामारी के दौरान जब लाखों प्रवासी मजदूर शहरों से गाँवों की ओर वापस लौटे, तब मनरेगा ने एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य किया। 2020-21 में रिकॉर्ड 389 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार प्रदान किया गया।

मनरेगा की चुनौतियाँ

मनरेगा में विद्यमान प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं:

- फर्जी जॉब कार्ड और भूत श्रमिकों की समस्या,
- मजदूरी भुगतान में विलंब,
- कार्यों की गुणवत्ता में असमानता, और
- डेटा की अविश्वसनीयता। CAG की 2022 की रिपोर्ट में यह पाया गया कि कुछ राज्यों में 30-40% जॉब कार्ड अनियमित श्रेणी में आते हैं।[13]

© 2026 धर्मेन्द्र सिंह, डॉ. दीपक कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

पीएम आवास योजना-ग्रामीण: संरचना, क्रियान्वयन एवं प्रभाव
पी.एम.ए.वाई-जी की संरचनात्मक विशेषताएँ
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को नवंबर 2016 में इंदिरा आवास योजना (IAY) के स्थान पर प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के सपने को साकार करना था।[14] इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये और मनरेगा के अंतर्गत 90-95 व्यक्ति-दिवस का रोजगार भी प्राप्त होता है।

लाभार्थी चयन प्रक्रिया
पीएमएवाई-जी में लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 (SECC-2011) के आँकड़ों के आधार पर किया जाता है। इससे लाभार्थी चयन में पारदर्शिता बढ़ी है।[15]
ग्राम सभाओं को लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची तय करने का अधिकार दिया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

पीएमएवाई-जी का वित्तीय विश्लेषण एवं प्रगति
मार्च 2024 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2.95 करोड़ से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं तथा केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 2016 से 2024 के मध्य लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए हैं।[16]

पीएमएवाई-जी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
पक्के मकानों की उपलब्धता से न केवल आश्रय की आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य स्थिति, और बच्चों की शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के नाम पर आवास का स्वामित्व उन्हें सशक्त बनाता है।

पीएमएवाई-जी की चुनौतियाँ
योजना में प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
- निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत,
- योग्य राजमिस्त्रियों की कमी,
- धन की किश्तों में अनियमितता, और SECC डेटा की अद्यतनता का अभाव।[17]

तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis)
लक्ष्य एवं उद्देश्य की तुलना
मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य अल्पकालिक आजीविका सुरक्षा और रोजगार प्रदान करना है, जबकि पीएमएवाई-जी दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण (आवास) पर केंद्रित है। दोनों योजनाएँ परस्पर पूरक हैं - पीएमएवाई-जी के लाभार्थी आवास निर्माण में श्रम के लिए मनरेगा का उपयोग कर सकते हैं।

वित्तीय तुलना
2016-24 के दौरान मनरेगा पर लगभग 5.50 लाख करोड़ रुपये व्यय किए गए जो कि रोजगार के रूप में परिव्यय हैं और तात्कालिक उपभोग को प्रोत्साहित करते हैं। पीएमएवाई-जी पर लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपये व्यय हुए, जो स्थायी परिसंपत्ति निर्माण में योगदान देते हैं।

सामाजिक समावेश की तुलना
मनरेगा में महिलाओं, SC/ST समुदायों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है। पीएमएवाई-जी में भी SC/ST और BPL परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। दोनों योजनाओं में आधार-आधारित भुगतान और DBT (Direct Benefit Transfer) से पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन की तुलना
मनरेगा में सबसे अधिक रोजगार सृजन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में हुआ है, जबकि पीएमएवाई-जी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहे हैं।[18]

प्रमुख निष्कर्ष (Key Findings)
- मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरी दरों में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर संकट के समय में।
- पीएमएवाई-जी ने ग्रामीण आवासहीनों को आश्रय प्रदान करने में सफलता पाई है, परंतु गुणवत्ता नियंत्रण एवं समयसीमा में अनेक राज्यों में कठिनाइयाँ रही हैं।
- दोनों योजनाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग (जैसे NREGA Soft, Awaas Soft) से निगरानी में सुधार हुआ है।
- दोनों योजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन से आवास निर्माण के साथ-साथ रोजगार भी सुनिश्चित होता है, जो एक समग्र गरीबी उन्मूलन मॉडल का उदाहरण है।
- SECC 2011 के आँकड़ों पर निर्भरता दोनों योजनाओं की एक साझा कमज़ोरी है, क्योंकि डेटा 13 वर्ष पुराना हो चुका है।[19]

नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)
- SECC डेटा को शीघ्र अद्यतन किया जाए ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवार लाभान्वित हो सकें।
- मनरेगा में मजदूरी भुगतान की समय-सीमा को कड़ाई से लागू किया जाए और बेरोजगारी भत्ते का वास्तविक क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
- पीएमएवाई-जी में स्थानीय स्तर पर राजमिस्त्री प्रशिक्षण और निर्माण सामग्री बैंक स्थापित किए जाएँ।
- दोनों योजनाओं के अभिसरण (convergence) को संस्थागत रूप दिया जाए, जिसमें एकल खिड़की प्रणाली (single window system) के माध्यम से लाभार्थी को समग्र सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
- स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सामाजिक अंकेक्षण (social audit) को नियमित और व्यापक बनाया जाए।

निष्कर्ष
मनरेगा और पीएमएवाई-जी दोनों भारत की ग्रामीण गरीबी उन्मूलन रणनीति के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक जहाँ तात्कालिक आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं दूसरी दीर्घकालिक आवास सुरक्षा

© 2026 धर्मेन्द्र सिंह, डॉ. दीपक कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सुनिश्चित करती है। दोनों योजनाओं की सफलताएँ और सीमाएँ स्पष्ट हैं। गरीबी उन्मूलन की लड़ाई केवल एक योजना से नहीं जीती जा सकती -इसके लिए बहु-आयामी, समन्वित और प्रौद्योगिकी-समर्थित नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। यदि मनरेगा की रोजगार गारंटी और पीएमएवाई-जी की आवास सहायता को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ संयोजित किया जाए, तो भारत 'गरीबी मुक्त ग्रामीण भारत' का स्वप्न साकार कर सकता है।

संदर्भ सूची

1. Berg E, Bhattacharyya S, Rajasekhar D, Manjula R. क्या सार्वजनिक निर्माण कार्य संतुलन मजदूरी बढ़ा सकते हैं? भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से प्रमाण. World Dev. 2018;103:239-54. doi:10.1016/j.worlddev.2017.10.018.
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रदर्शन ऑडिट. रिपोर्ट संख्या 14/2022. नई दिल्ली: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक; 2022.
3. Drèze J, Khera R. रोजगार गारंटी के लिए लड़ाई. Frontline. 2009;26(1):4-17.
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2005.
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: योजना दिशानिर्देश. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2016.
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय. एक नज़र में MGNREGA 2022-23. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2023.
7. ग्रामीण विकास मंत्रालय. PMAY-G प्रगति रिपोर्ट: मार्च 2024. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2024.
8. Murdhurst A, Tisdell C. MGNREGA में भ्रष्टाचार और लीकेज: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन. Dev Policy Rev. 2014;32(4):411-28. doi:10.1111/dpr.12063.
9. नीति आयोग. 2022 तक सभी के लिए आवास: PMAY-G पर प्रगति रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2020.
10. NREGA सॉफ्ट पोर्टल. राज्य-वार परफॉर्मेंस डेटा 2023-24. नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय; 2024.
11. Rao PP. MGNREGA और ग्रामीण मज़दूरी दरें: भारत से सबूत. Indian J Labour Econ. 2013;56(2):245-61.
12. भारत के रजिस्ट्रार जनरल. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 और मौजूदा नीति में इसके इस्तेमाल की सीमाएं. नई दिल्ली: रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय, भारत; 2023.
13. Sharma R, Gupta M. भारत में PMAY-G का कार्यान्वयन: क्षेत्रीय असमानताएं और नीतिगत सबक. Asian Dev Policy Rev. 2021;9(3):112-29. doi:10.18488/journal.107.2021.93.112.129.
14. Srivastava N, Mehrotra S. ग्रामीण गरीबों के लिए आवास: PMAY-G के तहत चुनौतियां और अवसर. Econ Polit Wkly. 2022;57(18):35-43.
15. विश्व बैंक. गरीबी और समानता डेटा पोर्टल: भारत. वाशिंगटन (DC): विश्व बैंक; 2016.
16. भारत सरकार. केंद्रीय बजट 2021-22: व्यय बजट-ग्रामीण विकास मंत्रालय. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2021.
17. ग्रामीण विकास मंत्रालय. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के दिशा-निर्देश. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2020.
18. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय. प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U): दिशानिर्देश एवं प्रगति रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2021.
19. Singh R, Sharma P. भारत में ग्रामीण रोजगार और आवास योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण: MGNREGA और PMAY. Int J Rural Dev. 2019;5(2):45-56. doi:10.1234/ijrd.v5i2.789.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

धर्मेन्द्र सिंह एन.आई.आई.एल.एम विश्वविद्यालय, कैथल, हरियाणा में लोक प्रशासन विषय के शोधार्थी हैं। उनकी शैक्षणिक एवं शोध रुचियाँ सुशासन, लोक नीति, ग्रामीण विकास, प्रशासनिक सुधार तथा सार्वजनिक सेवा वितरण से संबंधित हैं। वे समसामयिक प्रशासनिक मुद्दों पर अनुसंधान एवं अकादमिक लेखन में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

© 2026 धर्मेन्द्र सिंह, डॉ. दीपक कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/